

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी  
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-83/2017  
संस्थित दिनांक- 27.03.2017

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा  
आरक्षी केन्द्र चंदेरी  
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

**विरुद्ध**

1. करण सिंह पुत्र रामचन्द्र लोधी उम्र 60 साल
2. बादाम सिंह पुत्र निरपत सिंह लोधी उम्र 35 साल  
निवासीगण ग्राम नाओनी तहसील चंदेरी  
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक ..... को घोषित)

- 01- अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 289, 294, 506बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 14.03.2017 को समय 17:00 बजे से 17:10 बजे के मध्य करण सिंह के दरवाजे के सामने ग्राम नाबनी चंदेरी में अपने पालतू कुत्ते को जो तुम्हारे कब्जे में था, के विषय में जानते हुये व उपेक्षापूर्वक ऐसी व्यवस्था नहीं की, जिससे कि मानव जीवन में संकटापित होने के संभावित खतरे से बचा जा सके एवं फरियादी वीरन को लोक स्थान पर मां बहन की अश्लील गालियां उच्चारित कर उसे व सुनने वालों को क्षोभ कारित किया व उसे जाने से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02- अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.03.2017 को फरियादी वीरन का लडका आयुष स्कूल तरफ से खेलने गया था, कि शाम 05:00 बजे आयुष, करण सिंह के दरवाजे पर पहुंचा, तो करण सिंह का पालतू कुत्ता आयुष की तरफ भौंकता हुआ दोड़ा, किंतु करण सिंह और उसका लडका बादाम सिंह ने अपने कुत्ते को नहीं रोका और आयुष को करण सिंह का कुत्ता माथे में काट लिया व आयुष के चिल्लाने पर बहन कीर्ति और वीरन बचाने गये तो कीर्ति को दो जगह घुटने के नीचे दाहिने पैर में काट लिया। वीरन ने करण सिंह व बादाम सिंह से कहा कि कुत्ता रोका क्यों नहीं, तो करण और बादाम सिंह मां बहन की बुरी बुरी गालिया देने लगे और कहा काट लिया तो क्यों करें, ईलाज नहीं करा रहे है, जो दिखे तो कर लेना, धमकी दी कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर दूंगा। फरियादी वीरन द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्तगण के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्तगणके विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक-100/2017 अंतर्गत धारा-289, 294, 506, 34 भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.03.2018 को फरियादी वीरन व कीर्ति द्वारा अभियुक्तगण से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) तथा अपने नाबलिंग पुत्र आयुष की ओर से एक अन्य आवेदन 320 (4) द.प्र.स. के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्तगण को भा.द.वि. की धारा 294, 506 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्तगण पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 289 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्तगण पर विचारण किया गया।
- 04— अभियुक्तगण को उनके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उन्होने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उन्हें झूठा फंसाया गया है।
- 05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं।

1.	क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 14.03.2017 को समय 17:00 बजे से 17:10 बजे के मध्य करण सिंह के दरवाजे के सामने ग्राम नाओनी चंदेरी में अपने पालतू कुत्ते को जो तुम्हारे कब्जे में था, के विषय में जानते हुये व उपेक्षापूर्वक ऐसी व्यवस्था नहीं की, जिससे कि मानव जीवन में संकटापित होने के संभावित खतरे से बचा जा सके ?
2.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

### —:: सकारण निष्कर्ष ::—

- 06— अभियोजन की ओर से प्रकरण में हुये राजीनामों एवं अभियोजन में आई साक्ष्य को देखते हुये फरियादी वीरन (अ0सा0-01) व आहत कीर्ति (अ0सा0-02) के कथन न्यायालय में कराये गये। वीरन (अ0सा0-01) का अपने न्यायालीन कथनों में कहना है कि एक वर्ष पूर्व शाम 04:00-05:00 बजे मार्च के ही माह में वह अपने घर के बाहर दरवाजों पर खड़ा था, तो घर के बाहर खेल रहे उसके पुत्र आयुष को एक कुत्ते ने काट लिया था और उसकी बहन कीर्ति (अ0सा0-02) उसे बचाने गई, तो उसे भी पैरों में उस कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद वह अपने बच्चे व बहन को लेकर इलाज के लिये अस्पताल आया था। जहाँ उसके कुछ कागजों पर दरोगा ने हस्ताक्षर कराये थे। इस साक्षी ने रिपोर्ट प्रदर्श-पी-01 के ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये हैं।
- 07— कीर्ति (अ0सा0-02) ने भी अपने कथनों में फरियादी वीरन (अ0सा0-01) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों की पुष्टि करते हुये कथन दिये हैं कि पिछले साल होली के समय लगभग शाम 06:00 बजे घर के बाहर खेल रहे उसके भतीजे आयुष को कुत्ते ने माथे पर

काट लिया था और जब उसने कुत्ते को भगाया तो कुत्ते ने उसके पैरों में भी काट लिया था, जिसके बाद उसके भाई ने कुत्ते को भगाया था और उन्हें ईलाज के लिये अस्पताल ले गया था।

- 08— घटना दिनांक को शाम के समय फरियादी के घर के बाहर फरियादी के पुत्र आयुष एवं बहन कीर्ति (अ0सा0-02) को कुत्ते ने काटकर उपहति कारित की थी, इस संबंध में फरियादी वीरन (अ0सा0-01) के कथनों की पुष्टि प्रदर्श पी-01 की प्रथम सूचना रिपोर्ट सहित स्वयं कीर्ति (अ0सा0-02) के न्यायालीन कथनों से होती है तथा बचाव पक्ष की ओर से भी वीरन (अ0सा0-01) व कीर्ति (अ0सा0-02) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथनों के संबंध में कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया, जिससे इन साक्षियों की उपरोक्त साक्ष्य अखण्डित है। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह तो प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को शाम करीबन 05:00-06:00 बजे फरियादी के घर के बाहर एक कुत्ते ने फरियादी के पुत्र आयुष व उसकी बहन कीर्ति को काट लिया था।
- 09— वीरन लोधी (अ0सा0-01) व कीर्ति (अ0सा0-02) का अपने मुख्यपरीक्षण में यह स्पष्ट नहीं किया है कि जिस कुत्ते ने आयुष व कीर्ति (अ0सा0-02) को काटा था, वह वास्तव में किसके स्वामित्व एवं अधिपत्य का था। जबकि प्रकरण में दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस को दिये गये कथनों में साक्षियों के द्वारा यह लेख कराया गया है कि जिस कुत्ते ने आयुष व कीर्ति को काटा था, वह कुत्ता अभियुक्तगण का था। आयुष व कीर्ति को जिस कुत्ते ने काटा वह अभियुक्तगण का था, इस बिंदू पर वीरन (अ0सा0-01) व कीर्ति (अ0सा0-02) के द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में अभियोजन के समर्थन में कथन न देने से अभियोजन के द्वारा इन साक्षियों को पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया है।
- 10— अभियोजन के द्वारा किये गये परीक्षण में वीरन लोधी (अ0सा0-01) व कीर्ति (अ0सा0-02) ने अभियोजन का इस बात पर लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया है कि जिस कुत्ते ने आयुष व कीर्ति (अ0सा0-02) को काटा था, वह अभियुक्तगण का था। बल्कि इसके विपरीत वीरन लोधी (अ0सा0-01) का कहना है कि कुत्ता अभियुक्तगण का नहीं था और न ही अभियुक्तगण से उसका विवाद हुआ। फरियादी वीरन (अ0सा0-01) का यहां तक कहना है कि उसके द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रदर्श पी-01 की रिपोर्ट लेख ही नहीं कराई गई, दरोगा ने अस्पताल में आकर उसके कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये थे। यह साक्षी पुलिस को भी अभियुक्तगण के विरुद्ध कथन देने से इन्कार करता है।
- 11— घटना में आहत कीर्ति (अ0सा0-02) भी अपने न्यायालीन कथनों में यह स्पष्ट तौर पर कहती है कि जिस कुत्ते ने उसे व आयुष को काटा था वह अभियुक्तगण का पालतू कुत्ता नहीं था तथा वह अभियुक्तगण व फरियादी का घटना के बाद विवाद होने का भी खण्डन करती है तथा इस साक्षी का भी यह स्पष्ट कहना है कि कुत्ता अभियुक्तगण का नहीं था और न ही इस संबंध में उसने पुलिस को कोई कथन दिये।

- 12— अतः वीरन लोधी (अ0सा0-01) व कीर्ति (अ0सा0-02) के कथनों से यह तो प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को किसी कुत्ते ने आयुष व कीर्ति को काट खाया था, परन्तु उक्त कुत्ता अभियुक्तगण का था, इस संबंध में वीरन लोधी (अ0सा0-01) व कीर्ति (अ0सा0-02) के द्वारा अभियोजन का लेषमात्र भी समर्थन नहीं किया गया तथा दोनों ही साक्षी अपने कथनों में यह कहते हैं कि कुत्ता अभियुक्तगण का नहीं था और न ही उन्होंने अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस को कोई कथन दिये, जो कि संभवतः प्रकरण में हुये राजीनामों का परिणाम हो सकते हैं।
- 13— अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि घटना दिनांक को शाम करीबन 04:00-05:00 बजे ग्राम नाओनी में फरियादी के पुत्र आयुष व बहन कीर्ति को एक कुत्ते ने काट कर उन्हें उपहति कारित की थी, परन्तु उक्त घटना के समय घटना कारित करने वाला कुत्ता अभियुक्तगण के स्वामित्व अथवा अधिपत्य का था, यह अभिलेख पर आई साक्ष्य से साबित नहीं होता है, जिसके परिणाम स्वरूप के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 289 के आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं।
- 14— फलतः अभियुक्तगण करण सिंह पुत्र रामचन्द्र लोधी, बादाम सिंह पुत्र निरपत सिंह लोधी को भा.द.वि. की धारा 289 के आरोप प्रमाणित न होने से उन्हें भा.द.वि. की धारा 289 भा.द.वि. के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोष मुक्त घोषित किया जाता है।
- 15— अभियुक्तगण धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्तगण के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जुप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत  
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)